



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 45266 वर्ष 2025

सलमान

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्धी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : राज किशोर दुबे

प्रत्यर्धी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. दुबे एवं राज्य प्रत्यर्धीगण की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री पुनीत कुमार सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

यह जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत आवेदक **सलमान** की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसे मुकदमा अपराध संख्या 567 वर्ष 2025, धारा 2(ख)(एकसवी)/3 उत्तर प्रदेश गिरहबंद एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना बागपत, जनपद बागपत में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे दुर्भावनापूर्ण आशय के कारण उक्त प्रकरण में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक न तो किसी गिरह का सदस्य, नेता अथवा संगठक है और न ही उसने अधिनियम की धारा 2(ख) के अंतर्गत वर्णित किसी गिरह की गतिविधियों में किसी प्रकार की सहायता या उकसावा प्रदान किया है। आवेदक का उक्त प्रकरण को छोड़कर कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने अथवा साक्षियों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक दिनांक 17.11.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह आश्वासन देता है कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालयों में मामलों के अत्यधिक लंबित होने के कारण विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध किया, किन्तु आवेदक के विरुद्ध विद्वान अधिवक्ता द्वारा दर्शाए गए मामलों के अतिरिक्त कोई अन्य मामला इंगित नहीं किया है।

अभिलेख पर उपलब्ध समस्त तथ्यों, मामले की प्रकृति एवं साक्ष्यों तथा अभिलेख से परिलक्षित सामग्री पर विचार करते हुए एवं अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यह जमानत प्रदान किए जाने योग्य प्रकरण है। अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अतः अभियुक्त-आवेदक **सलमान** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करे तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगा—

(i) आवेदक किसी भी व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का प्रकटीकरण न करे अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करे।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित अथवा धमकाने का प्रयास नहीं करेगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) प्रकरण के उद्घाटन, (ii) आरोप निर्धारण तथा (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक यह वचन देगा कि साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर, जब गवाह उपस्थित हों, वह किसी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर या तो स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में जमानत निरस्तीकरण का आधार माना जाएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल जमानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के प्रयोजन हेतु सीमित है तथा इसे मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र रहेगा।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

12 जनवरी, 2026

सुमैरा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।